उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन विभाग
संख्या- 62/2017/2811/41-2017-121 सा0/2016
लखनऊः दिनांक- 04 दिसम्बर, 2017

लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के अध्यक्षता में गठित चयन समिति की संस्तुति को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित तालिका के प्रस्तर-2 में अंकित पर्यटन विभाग, उ0प्र0 में कार्यरत पर्यटक अधिकारियों को क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/प्रचार अधिकारी के पद पर वेतन बैण्ड 3 में वेतनमान रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन 5400 (लेवल 10 पे-मैट्रिक्स रू0 56100-177500) में प्रोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	ज्येष्ठता क्रमांक	चयन वर्ष
1.	श्री अरविन्द कुमार	04	2015-2016
2.	श्री अनुपम श्रीवास्तव	06	2016-2017

2. उपर्युक्त प्रोन्नति अधिकारियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

3. उपर्युक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पर्यटक अधिकारी के पद से कार्यमुक्त होकर क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/प्रचार अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

4. उपर्युक्त प्रोन्नति अधिकारियों की नियमित तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। नियमित तैनाती होने तक उक्त अधिकारी अपनी वर्तमान तैनाती के स्थान पर पूर्ववत कार्य करते रहेंगे।

5. उपर्युक्त प्रोन्नति अधिकारियों की ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता निर्धारण नियमावली, 1991 (यथासंशोधित) में दी गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(अवनीश कुमार अवस्थी)
प्रमुख सचिव

संख्या- 62 /2017/2811(1)/41-2017-121 सा0/2016 दिनांक 04 दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. **महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।**
2. **महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।।**
3. **अनु सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग को उनके पत्र संख्या-263 (4)/8/पी0/एस-9/2016-17 दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के अनुक्रम में।**
4. **निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।**
5. **संयुक्त निदेशक, पर्यटन उ0प्र0 लखनऊ।**
6. **सम्बन्धित अधिकारीगण द्वारा महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।**
7. **प्रमुख सचिव, सूचना, उत्तर प्रदेश शासन।**
8. **वेब अधिकारी,**
9. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,
(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in